6

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक-शिक्षा की वर्तमान समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

ललित मोहन जोशी*

29 जुलाई, 2020 को भारत में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सूत्रपात हुआ। इस नीति में शिक्षा व्यवस्था के विविध पक्षों पर विचार-विमर्श करते हुए उनके संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव एवं दिशानिर्देश दिए गए हैं। शिक्षक-शिक्षा किसी भी शिक्षा नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जो कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी यह प्रमुखता से स्वीकार किया गया है कि शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे परिवर्तनों के केंद्र में शिक्षक अवश्य ही होने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक-शिक्षा संबंधी सुझावों एवं दिशानिर्देशों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत शोधपत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक-शिक्षा की वर्तमान समस्याओं एवं उनके समाधान पर विचार करने का प्रयास किया गया है।

किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में 'शिक्षक-शिक्षा' का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जब भी किसी राष्ट्र द्वारा विविध कारणों से अपनी शिक्षा व्यवस्था के किसी पक्ष विशेष अथवा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है, तो सर्वप्रथम उसके द्वारा पहले अपनी शिक्षक-शिक्षा को उन परिवर्तनों के अनुरूप परिमार्जित किया जाता है, तत्पश्चात शेष कार्य व्यवस्थित रूप से होने लगता है। जिस देश की शिक्षक-शिक्षा जितनी समृद्ध और गुणवत्तायुक्त होती है, उस देश की शिक्षा का स्तर उतना ही ऊँचा होता है। इस संबंध में 1986 की शिक्षा नीति का यह कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है—

"किसी भी समाज में अध्यापकों की स्थिति से उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि का पता लगता है। कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं हो सकता। सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिससे

* *सहायक प्राध्यापक*, बी.एड. विभाग, लक्ष्मण सिंह महर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़, उत्तराखंड

अध्यापकों को निर्माण एवं सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हो सके।"

यद्यपि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित आयोगों एवं शिक्षा नीतियों के सुझावों के आधार पर शिक्षक-शिक्षा में अनेक परिवर्तन किए गए हैं, परंतु इसके पश्चात भी शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में अनेक न्यूनताएँ विद्यमान हैं। इस संदर्भ में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट *शिक्षा बिना बोझ के* (1993) का यह कथन उल्लेखनीय है—

"शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की न्यूनताओं के कारण विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता असंतोषजनक रही है। विद्यालयी शिक्षा में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी विषयवस्तु का पुनःनिर्माण किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थी स्व-अधिगम एवं स्वतंत्र चिंतन की योग्यता प्राप्त कर सकें।"

शिक्षक-शिक्षा की उपर्युक्त न्यूनताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इनके कारणों एवं समाधान के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इसके साथ ही नीति में शिक्षक-शिक्षा के भावी स्वरूप के संबंध में भी महत्वपूर्ण सुझाव एवं दिशानिर्देश दिए गए हैं। इन समस्त पक्षों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं—

"शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारत में शिक्षकों को समाज का सम्मानित सदस्य माना जाता है और सबसे योग्य तथा विद्वान व्यक्ति ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षकों को उनकी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ प्रदान किया करते थे। परंतु वर्तमान में शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता, नियुक्ति, सेवा शर्तों और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। परिणामस्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह में कमी प्रदर्शित होती है। ऐसी स्थिति में समाज में शिक्षकों के लिए उच्च स्थान एवं उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा जिससे कि शिक्षण व्यवसाय में योग्य व्यक्तियों को सम्मिलित करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। हमारे विद्यार्थियों और राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करने एवं उनके सशक्तीकरण की आवश्यकता है।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित शिक्षक-शिक्षा संबंधी प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दो अलग भागों में शिक्षक-शिक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम भाग एक 'विद्यालयी शिक्षा' के अंतर्गत अध्याय पाँच में 'शिक्षक' शीर्षक के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षा संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है तो वहीं दूसरी ओर भाग दो में 'उच्चतर शिक्षा' के अंतर्गत अध्याय 15 में 'शिक्षक-शिक्षा' शीर्षक से तत्संबंधी विचारों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय

शिक्षा नीति 2020 में निहित शिक्षक-शिक्षा से संबंधित विविध प्रावधानों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत व्यवस्थित किया जा सकता है—

- शिक्षक-शिक्षा की संदृष्टि एवं लक्ष्य
- शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की वर्तमान स्थिति
- शिक्षक-शिक्षा संस्थानों का विनियमन एवं भावी स्वरूप
- शिक्षक-शिक्षा संबंधी दिशानिर्देश
- संकाय सदस्यों की योग्यता
- सेवारत व्यावसायिक प्रशिक्षण
- मेंटरिंग हेतु राष्ट्रीय मिशन की स्थापना
- विद्यालयी शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदस्थापना
- स्थानांतरण
- शिक्षक नियुक्ति हेतु प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया एवं परीक्षाओं के स्तर में सुधार
- शिक्षकों की पर्याप्त संख्या को सुनिश्चित करना
- सेवा अवधि के दौरान कार्य संस्कृति और वातावरण
- सतत व्यावसायिक विकास
- वृत्तिक प्रबंधन तथा विकास
- शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक
- विशिष्ट शिक्षक

शिक्षा नीति में वर्णित शिक्षक-शिक्षा से संबंधित उपर्युक्त क्षेत्रों का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि इस नीति में शिक्षक-शिक्षा के विविध पक्षों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है। इन विविध क्षेत्रों के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक-शिक्षा संबंधी अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके समाधान हेतु सुझाव एवं दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं, परंतु इसके पश्चात भी इस क्षेत्र की कुछ अन्य महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं जिन की ओर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

वर्तमान में शिक्षक-शिक्षा की समस्याएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक-शिक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करने से पूर्व शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त न्यूनताओं एवं विसंगतियों का उल्लेख किया गया है। जिसमें निम्न स्तरीय एकल शिक्षक-शिक्षा संस्थान एवं नियामक संस्थाओं की विफलता प्रमुख हैं। शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता में कमी का एक प्रमुख कारण कुछ निम्न स्तरीय एकल शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय तो हैं ही, इसके अतिरिक्त भी इस क्षेत्र में वर्तमान समय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण समस्याएँ विद्यमान हैं, जिनका वर्णन एवं समाधान निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है—

चयन प्रक्रिया से संबंधित न्यूनताएँ

शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समस्या इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के संदर्भ में अनुभव की जा रही है। वर्तमान में देश के पृथक-पृथक राज्यों में शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रमों मे प्रवेश हेतु संबंधित राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अपने-अपने स्तर से प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिस कारण पूरे देश में इन परीक्षाओं में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। सामान्यतः इस प्रवेश परीक्षा द्वारा अभ्यर्थियों के विषय संबंधी ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभियोग्यता एवं तार्किक योग्यता का मापन किया जाता है। परंतु इन

परीक्षाओं में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप वांछित परिवर्तन न किए जाने के कारण, इनके द्वारा अनेक बार योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता। इस परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा भी तय फॉर्मूले का अनुसरण करते हुए अपने विषय से संबंधित प्रमुख तथ्यों को रट लिया जाता है तथा शिक्षण अभिरुचि एवं अभियोग्यता वाले प्रश्नों का उनकी आदर्शात्मक प्रकृति के अनुरूप संभावित आदर्श उत्तर दे दिया जाता है, जो कि परंपरा से चला आ रहा है। अतः इस न्यूनता को दूर करने हेतु परिवर्तित आवश्यकता के अनुरूप इन परीक्षणों में आवश्यक सुधार करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही प्रवेश परीक्षा में एकरूपता लाने हेतु इसका आयोजन, राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अधिमान अंक संबंधी समस्या

भारत में सेवा-पूर्व शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान अंक दिए जाने की व्यवस्था है। यथा— उत्तराखंड राज्य में विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले अधिमान अंकों की अधिकतम सीमा 25 अंक है। अनेक विद्यार्थी अधिमान अंकों की अधिकतम अंक सीमा के आधार पर इन कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में प्रवेश हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में अधिक अंक लाने वाले, परंतु अधिमान अंक न रखने वाले अभ्यर्थी भी अधिमान अंक वाले अभ्यर्थियों से पिछड़ जाते हैं। जबकि इस तथ्य से सभी भलीभाँति परिचित हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मात्र एक अंक भी अधिक अथवा कम होने से अभ्यर्थी के चयनित होने, या न होने की संभावना महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में योग्य एवं उत्कृष्ट अभ्यर्थियों का चयन प्रभावित होता है। इस समस्या का समाधान यह है कि यदि अधिमान अंक देना आवश्यक ही हो तो इसकी अधिकतम सीमा को 25 अंकों से कम कर 10 अंकों तक सीमित किया जा सकता है। इस प्रकार के संशोधन से योग्य एवं मेधावी, परंतु अधिमान अंक न रखने वाले अभ्यर्थी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होंगे। अत: अधिमान अंकों को प्रदान करने की सीमा इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए जिससे कि पात्र को लाभ तो हो, परंतु वास्तविक योग्यता अथवा मेधा इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो।

शिक्षक प्रशिक्षण प्राथमिकता न होकर प्लान बी, सी या डी होता है

सेवा-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि इसमें प्रवेश लेने वाले अधिकांश अभ्यर्थी इस पाठ्यक्रम को प्राथमिकता एवं प्रमुख रुचि के रूप में स्वीकार करने के स्थान पर इसे अपनी किसी अन्य प्राथमिकता एवं रुचि के क्षेत्र में असफल होने से उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्ति के रूप में चयनित करते हैं। प्राथमिक वरीयता एवं रुचि के अभाव में ऐसे विद्यार्थी न तो शिक्षक-शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष को ही भलीभाँति आत्मसात कर पाते हैं और न ही व्यावहारिक पक्ष को। इस प्रकार की मनोस्थिति वाले अभ्यर्थियों से राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना व्यर्थ सिद्ध होता है। शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं में वांछित सुधार करने, प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षुओं की इस प्रवृत्ति की ओर ध्यान देते हुए उन्हें समुचित

निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने तथा अभिप्रेरित करने से, कुछ हद तक इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं में भी सुधार अपेक्षित है। इन परीक्षाओं के प्रश्नपत्र में विषयगत ज्ञान के साथ-साथ उस विषय के शिक्षणशास्त्र एवं शिक्षा मनोविज्ञान सहित शिक्षक-शिक्षा की पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक पक्ष का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अंतिम चयन में लिखित परीक्षा के साथ ही शिक्षण के व्यावहारिक पक्ष को जाँचने हेतु अनिवार्य रूप से साक्षात्कार का आयोजन भी किया जाना चाहिए जिससे संबंधित अभ्यर्थी की शिक्षण योग्यता का आनुभाविक एवं वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके। इस स्थान पर यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के चयन की प्रक्रिया से साक्षात्कार को हटा दिया गया है।

शिक्षक व्यवसाय के प्राथमिक वरीयता एवं रुचि का क्षेत्र न होने के अनेक कारण हो सकते हैं। यथा— नियुक्ति में अधिक समय लगना, नियुक्ति होने पर वांछित स्थान पर नियुक्ति न होना, पदोन्नति संबंधी विसंगतियाँ, पदोन्नति में अधिक समय लगना, शिक्षण कार्य से इतर कार्यों की अधिकता इत्यादि। अतः शिक्षण व्यवसाय को प्रथम वरीयता प्रदान करने के लिए इन समस्याओं की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की स्थिति

शिक्षक-शिक्षा की एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या स्वयं इन संस्थानों की स्थिति से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट शब्दों में एकल शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। वर्तमान में शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित बी.एड. कार्यक्रम की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक, इसे संचालित करने वाली संस्थाओं का स्वरूप भी है। यथा— उत्तराखंड राज्य के विशेष संदर्भ में बी.एड. कार्यक्रम का संचालन, मुख्यतः तीन प्रकार के संस्थानों क्रमशः राजकीय वित्तपोषित महाविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित बी.एड. एवं पूर्णतः स्ववित्तपोषित निजी संस्थानों द्वारा किया जा रहा है, परंतु अनेक बार राजकीय स्ववित्तपोषित एवं निजी संस्थानों में संकाय सदस्यों की उपलब्धता नहीं होती। ऐसी स्थिति में शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ

सामान्यतः शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में निर्धारित समय पर पाठ्यचर्या पूर्ण करने हेतु उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षुओं की स्थिति निष्क्रिय श्रोता जैसी हो जाती है जो कि उनकी अधिगम प्रेरणा पर विपरीत प्रभाव डालती है। अतः शिक्षक-शिक्षा संस्थानों का यह प्रमुख दायित्व होना चाहिए कि वह भावी शिक्षकों को सूचनाओं, तथ्यों एवं ज्ञान की प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों से परिचित कराएँ जिससे कि वे स्वयं वांछित सामग्री को ढूँढ़कर उसे उद्देश्यों के अनुरूप सुव्यवस्थित कर मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक रूप से उपयुक्त भाषा में व्यक्त कर सकें।

पाठ योजनाओं के प्रारूप में असमानताएँ

शिक्षक-शिक्षा की पाठ्यचर्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षण अभ्यास है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षुओं द्वारा एक निर्धारित अवधि तक विद्यालयों में रहकर अपने स्नातक स्तर के विषयों के आधार पर किन्हीं दो शिक्षण विषयों का अध्यापन कार्य किया जाता है। यह कार्य पाठ योजनाओं के आधार पर किया जाता है। परंतु पाठ योजनाओं के स्वरूप के संबंध में भी संपूर्ण देश में ही नहीं, अपितु किसी एक राज्य विशेष के विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों में भी एकरूपता का अभाव पाया जाता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि किसी एक उपागम पर आधारित पाठ योजना, किसी दूसरे उपागम का समर्थन करने वाले शिक्षक के दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण भी हो सकती है। इससे प्रशिक्षुओं के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे किस प्रारूप को उपयुक्त मानते हुए इस कार्य को पूर्ण करें। इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पाठ योजना के एक निश्चित प्रारूप को विकसित कर उसका अनुपालन, देश के समस्त शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में किया जाना चाहिए। पाठ योजना के चरणों को मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए जो अधिगम को सरल, सहज तथा सुगम बना सके जिससे शिक्षकों का बहुमूल्य समय पाठ योजना की आलोचना में व्यर्थ नष्ट न हो।

इंटर्नशिप का वर्तमान स्वरूप

शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समस्या इंटर्नशिप के वर्तमान स्वरूप से संबंधित है। समकालीन द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में शिक्षण अभ्यास के लिए लगभग चार माह की इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है। इस अवधि में प्रशिक्षुओं द्वारा स्थानीय विद्यालयों में स्वनिर्मित पाठ योजनाओं के आधार पर, दो विद्यालयी विषयों का शिक्षण करते हुए, संपूर्ण विद्यालयी व्यवस्था का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परंतु इस व्यवस्था का प्रमुख दोष यह है कि इस अवधि में प्रशिक्षुओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन, संकाय सदस्यों के स्थान पर, संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं विषय-अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों द्वारा शिक्षण के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के कार्यों का संपादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में समय तथा विशेषज्ञता के अभाव में उनसे प्रशिक्षुओं में शिक्षण संबंधी दक्षता का विकास करने की अपेक्षा करना उचित प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः संकाय सदस्यों की उपस्थिति में ही प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप हेतु विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए जिससे कि उन्हें उचित एवं वास्तविक प्रतिपुष्टि प्राप्त हो सके तथा उनके शिक्षण व्यवहार में वांछित सुधार किया जा सके। इंटर्नशिप की अवधि में प्रशिक्षुओं को शिक्षाशास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग करने तथा उसकी उपयोगिता की जाँच एवं प्रयोग करने के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास ही बी.एड. पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष में समन्वय स्थापित कर इन दोनों में असमानता को समाप्त कर सकता है।

मूल्यांकन के स्तर में भिन्नता

वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में संचालित बी.एड. कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में अत्यधिक भिन्नता प्रदर्शित होती है। यद्यपि पाठ्यचर्या का कुछ अंश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किया जाना आवश्यक है, परंतु इसके पश्चात भी पाठ्यचर्या में अधिकांशतः एकरूपता होना आवश्यक है। पाठ्यचर्या की भिन्नता, मूल्यांकन को भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। इसी प्रकार प्रश्न-पत्र के स्वरूप में भिन्नता भी मूल्यांकन को प्रभावित करती है। इस भिन्नता के कारण बी.एड. कार्यक्रम के संदर्भ में किसी एक राज्य के अभ्यर्थी के परीक्षा परिणाम की तुलना किसी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों से नहीं की जा सकती। इस समस्या के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि संपूर्ण देश में शिक्षक-शिक्षा की पाठ्यचर्या का अधिकांश भाग (लगभग 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक) एकसमान हो तथा लगभग 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक इसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार की व्यवस्था से ही संपूर्ण देश में एक निष्पक्ष मानक के आधार पर पृथक-पृथक राज्यों के प्रशिक्षु-शिक्षकों की तुलना संभव हो सकेगी। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि बी.एड. उपाधि, उपाधिधारक को देश के किसी भी राज्य में शिक्षक बनने की अर्हता प्रदान करती है, अत: पूरे देश में शिक्षकों के चयन हेतु एकसमान मानकों का होना आवश्यक प्रतीत होता है।

उपर्युक्त समस्याएँ वर्तमान में शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि इन समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श कर इन्हें यथाशीघ्र दूर किया जाए। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु अनेक सुझाव तथा दिशानिर्देश दिए गए हैं, परंतु इनमें भी कुछ स्थानों पर अस्पष्टता दिखाई देती है, यथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बिंदु संख्या 5.3 के अंतर्गत यह कहा गया है कि शिक्षकों के अत्यधिक स्थानांतरण पर रोक लगाई जाएगी, जबकि शिक्षकों की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक समस्या स्थानांतरण से ही संबंधित है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव के कारण अनेक शिक्षक, निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक अपने निवास स्थान से बहुत दूर, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले स्थानों पर कार्यरत रहने के लिए विवश हैं। समाज के अन्य व्यक्तियों के समान ही शिक्षकों के भी अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अनेक दायित्व एवं समस्याएँ होती हैं। यदि निर्धारित समय पर एवं नियमानुसार स्थानांतरण न हो, तो ऐसी स्थिति में अपने व्यक्तिगत एवं अन्य पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति न कर पाने के कारण उनमें कुंठा और निराशा की भावना उत्पन्न होती है। इसका नकारात्मक प्रभाव उनके शिक्षण पर भी पड़ता है। यदि नियुक्तियाँ स्थानीय आधार पर हों तथा स्थानांतरण, निर्धारित नीति के पूर्णत: पालन के क्रम में हो सके तो अत्यधिक स्थानांतरण जैसी समस्या ही उत्पन्न नही होगी और शिक्षक का संबंध भी समुदाय से बना रहेगा। इसके लिए शिक्षकों को पृथक से प्रयास करने की आवश्यकता ही नही होगी।

इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिंदु संख्या 5.5 में कुछ विषयों के शिक्षकों की साझेदारी का सुझाव दिया गया है। परंतु इससे यह समस्या उत्पन्न होती है कि यह व्यावहारिक रूप से कैसे संभव होगा। क्या इसके लिए शिक्षक को अपने मूल नियुक्ति वाले विद्यालय के साथ-साथ अन्य विद्यालयों में भी उस विषय विशेष के शिक्षण के लिए जाना होगा? यदि ऐसा ही हो तो क्या इससे उस शिक्षक के मौलिक नियुक्ति वाले विद्यालय के विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे? यदि किसी प्रकार यह संभव भी हो तो पर्वतीय राज्यों के दुर्गम स्थलों पर यह कैसे संभव हो सकेगा? अत: प्रत्येक विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने पर ही शिक्षण की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार संभव है। इसके साथ ही शिक्षा नीति की एक न्यूनता यह भी है कि इसमें शिक्षक-प्रशिक्षकों की तैयारी के आधारभूत कार्यक्रम, एम.एड. पर व्यवस्थित रूप से विचार नहीं किया गया है, जबकि यह शिक्षक-प्रशिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित शिक्षक-शिक्षा संबंधी नवीन प्रावधानों, दिशानिर्देशों एवं इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है परंतु इसके पश्चात भी वर्तमान में शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में चयन प्रक्रिया, अधिमान अंकों के विस्तार, शिक्षक बनना प्राथमिक वरीयता न होना, शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की स्थिति, प्रभावशाली शिक्षण विधियों का अभाव, पाठ योजना के सर्वमान्य प्रारूप का अभाव जैसी व्यावहारिक समस्याएँ विद्यमान हैं। इन समस्याओं के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए शिक्षक-शिक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के दूसरे पक्ष पर भी विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है, यथा— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम को बहुविषयक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित करने का सुझाव दिया गया है, परंतु यहाँ पर तथ्य यह है कि मात्र इससे ही शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सकता। शिक्षक-शिक्षा में सुधार हेतु इस क्षेत्र की विनियामक संस्थाओं को भी अपनी प्रक्रिया में सुधार करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने तथा इसे अभ्यर्थियों की प्रथम वरीयता के रूप में निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया है, परंतु यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि क्या विषय का अध्ययन तथा उसके शिक्षण की दक्षता, दोनों को एक ही समय में साथ-साथ प्राप्त किया जा सकता है? या फिर पहले विषय पर स्वामित्व तत्पश्चात उसके शिक्षण की क्षमताओं का अर्जन करना अधिक उपयुक्त होगा, इस पक्ष पर भी विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। एम.एड. पाठ्यचर्या शिक्षक-प्रशिक्षकों की तैयारी का मूल आधार है, अत: नीति में इसकी पाठ्यचर्या पर भी विमर्श अपेक्षित है। इसी प्रकार स्थानांतरण भी एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि शिक्षक-शिक्षा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का केंद्र है। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस

हेतु दिए गए दिशानिर्देशों से संबंधित, प्रत्येक क्षेत्र पर व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से विचार करने के उपरांत सर्वप्रथम शिक्षक-शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण किया जाए। तत्पश्चात संपूर्ण देश में उसके अनुरूप शिक्षक-शिक्षा की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाए। मात्र शिक्षा नीति के दिशानिर्देशों को बिना विमर्श के शीघ्रता से लागू करने पर वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते।

संदर्भ

ठाकुर, गोपाल कृष्ण. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक सिंहावलोकन*. महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*. (1992 में किए गए संशोधनों सहित) भारत सरकार, नई दिल्ली.

———1993. *'शिक्षा बिना बोझ के' यशपाल कमेटी रिपोर्ट*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2009. *शिक्षक-शिक्षा का आधार पत्रक*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.